न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 146/2014 तारीख रजू:— 12.11.2014

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. भरोसीलाल पुत्र पून्याराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
2. मुरारीलाल पुत्र नेताराम जाति जाटव निवासी नई बस्ती बाढ (मिल्कीपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1. प्रभू
2. करनसिंह
3. रेखसिंह
4. लखनसिंह

पिसरान वीदाराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

5. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान
6. सब रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली------ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमसिंह नोनिया एडवोकेट वादीगण

नोट—इसी मुकदमा के साथ कन्सोलीडेट दावा मुकदमा नं0150/2019 उनवानी —

मुरारीलाल पुत्र नेताराम जाति जाटव निवासी नई बस्ती बाढ (मिल्कीपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली------------------------------------ वादी

बनाम

1. प्रभू
2. करनसिंह
3. रेखसिंह
4. लखनसिंह

पिसरान वीदाराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

5. भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
6. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान — प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav,
Date: 2021.02.09 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् तकास्मा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमसिंह नोनिया एडवोकेट वादी
2. श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी सं0 5

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :— 08.01.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मुकदमा नं0 146/2014 उनवानी भरोसीलाल वगैराह बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 150/2019 उनवानी मुरारीलाल बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में समान पक्षकार समान विषय वस्तु होने के कारण मुकदमा नं0 150/2019 उनवानी मुरारीलाल बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को मुकदमा नं0 146/2014 उनवानी भरोसीलाल वगैराह बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ कन्सोलीडेट किया जाता है। क्योंकि उक्त दोनों प्रकरणों में विवादित आराजी खसरा नम्बर 3298 रकबा 0.90 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का विधिवत रूप से बंटवारे की रिलीफ चाही गई है। उक्त दोनो प्रकरणों में मुरारीलाल वादी है। इसलिए वादी मुरारीलाल को एक ही विवादित आराजीयात के बाबत् समान रिलीफ प्राप्त करने के लिए पूर्व के मुकदमा के विचाराधीन रहते हुए/ उसका निस्तारण होने के उपरान्त भी दूसरा दावा पेश नहीं कर सकता है। उक्त प्रकरण में रेस ज्यूडीकेटा का सिद्दान्त लागू होता है। ऐसे हालात में मुकदमा नं0 150/2019 उनवानी मुरारीलाल बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

मुकदमा नं0 146/2014 उनवानी भरोसीलाल वगैराह बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत ढिंढोरा में दिनांक 28.06.2018 प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3298 रकबा 0.90 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा करने के तहसीलदार हिण्डौन को जारी किये गये थे। दिनांक 28.06.2018 को जारी प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक 20.08.2019 को मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई एवं फर्द मौका तैयार किया गया। जिसको तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2019/1263 दिनांक 29.08.2019 से इस न्यायालय में पेश किया है।

दिनांक 08.01.2014 को वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं01 ता 4 प्रभू, करनसिंह, रेखसिंह, लखनसिंह उपस्थित आये। जिनकी बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं01 ता 4 प्रभू, करनसिंह, रेखसिंह, लखनसिंह ने मुताविक बंटवारा स्कीम वादीगण का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है तथा अपनी सहमति के बाबत् आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.09 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम दिनांक 20.08.2019 के अनुसार ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ [illegible] विवादित आराजी खसरा नम्बर 3298/1 रकबा 0.25 है0 भरोसी पुत्र [illegible] जाति जाटव के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 3298/2 रकबा 0.33 है0 मुरारी पुत्र नेताराम जाति जाटव के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

में तथा खसरा नम्बर 3298/3 रकबा 0.32 है0 प्रभू, करनसिंह, रेखसिंह, लखनसिंह पिसरान वीदाराम जाति जाटव बहिस्सा बराबर के हिस्से में आयी है।

फर्द मौका दिनांक 20.08.2019 में अंकित किया है कि मुकदमा नं0 146/2014 निर्णय दिनांक 28.06.2018 की पालना में ग्राम मिल्कीपुरा के खसरा नम्बर 3298 रकबा 0.90 है0 की बंटवारा स्कीम तैयार करने में पटवारी हल्का ढिंढोरा के साथ ग्राम मिल्कीपुरा आया। मुताविक राजस्व रिकार्ड भरोसीलाल पुत्र पून्याराम हि0 5/18, मुरारी पुत्र नेताराम हि013/36, लखनसिंह पुत्र वीदाराम हि013/144, करणसिंह पुत्र वीदाराम हि0 13/144, प्रभू पुत्र वीदाराम हि0 13/144, रेखसिंह पुत्र वीदाराम हि0 13/144 समस्त जाति जाटव सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुरारी पुत्र नेताराम को छोडकर समस्त खातेदार मौके पर उपस्थित आये। बंटवारा स्कीम पर समस्त उपस्थित खातेदारों द्वारा सहमति जाहिर की। खसरा नम्बर 3298/1 रकबा 0.25 है0 भरोसी पुत्र पून्याराम, खसरा नम्बर 3298/2 रकबा 0.33 है0 मुरारी पुत्र नेताराम, खसरा नम्बर 3298/3 रकबा 0.32 है0 प्रभू, करनसिंह, रेखसिंह, लखनसिंह पिसरान वीदाराम जाति जाटव बहिस्सा बराबर पर मुताविक नक्शा ट्रेस सहमति जाहिर की। फर्द मौका मौके पर तैयार कर मौके पर मौजूद खातेदारों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3298 रकबा 0.90 है0 ग्राम मिल्कीपुरा की तहसीलदार हिण्डौन द्वारा दिनांक 29.08.2019 को जो बंटवारा स्कीम पेश की गई है, वह पक्षकारान की सहमति से पेश की गई है। वादी मुरारी ने उक्त बंटवारा स्कीम पर आपत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किया जा चुका है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 29.08.2019 को प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मुकदमा नं0 146/2018 उनवानी भरोसीलाल वगैराह बनाम प्रभू वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 29.08.2019 को प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3298/1 रकबा 0.25 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 3298/2 रकबा 0.33 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का मुरारी पुत्र नेताराम जाति जाटव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 3298/3 रकबा 0.32 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का प्रभू पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4, करनसिंह पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4, रेखसिंह पुत्र वीदाराम जाति जाटव हि[illegible], लखनसिंह पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार [illegible]षित किये जाते हैं तथा पूर्व के इन्द्राजात हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। तह[illegible]लदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.09 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

मय नक्शा ट्रेस व फाईनल डिक्री की प्रति के साथ तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-01-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08·01·2021

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.09 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

1. भरोसीलाल पुत्र पून्याराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
2. मुरारीलाल पुत्र नेताराम जाति जाटव निवासी नई बस्ती बाढ (मिल्कीपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1. प्रभू | पिसरान वीदाराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. करनसिंह
3. रेखसिंह
4. लखनसिंह
5. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान
6. सब रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0 146/2014

नोट–इसी मुकदमा के साथ कन्सोलीडेट दावा मुकदमा नं0150/2019 उनवानी –

मुरारीलाल पुत्र नेताराम जाति जाटव निवासी नई बस्ती बाढ (मिल्कीपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली——————————————————— वादी

बनाम

1. प्रभू | पिसरान वीदाराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. करनसिंह
3. रेखसिंह
4. लखनसिंह
5. भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
6. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान – प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0 150/2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.09 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा नं0146/2014 आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री प्रेमसिंह नोनिया एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 29.08.2019 को प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3298/1 रकबा 0.25 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का भरोसी पुत्र पून्याराम जाति जाटव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 3298/2 रकबा 0.33 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का मुरारी पुत्र नेताराम जाति जाटव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 3298/3 रकबा 0.32 है0 ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ का प्रभू पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4, करनसिंह पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4, रेखसिंह पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4, लखनसिंह पुत्र वीदाराम जाति जाटव हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा पूर्व के इन्द्राजात हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय मय नक्शा ट्रेस व फाईनल डिक्री की प्रति के साथ तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2021 को यह डिक्री जारी की गई।

08.01.2021

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.09 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner